प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.10.2024

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा लूट व स्नैचिंग की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस तथा स्नैचिंग किये गये सामान को बेचकर प्राप्त 15,000/– रु व घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद ।

गिरफ्तारी / पुलिस मुठभेड का विवरण:-आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत रखते हुये लूटपाट की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे सघन चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस को देखकर भाग रहे अभियुक्त शान मोहम्मद पुत्र मी० शौकीन निवासी नियर पीडी स्कूल लोकप्रिय विहार मदरसे वाली गली खोडा कॉलोनी थाना खोडा उम्र करीब 28 वर्ष को 5/6 की पुलिया इंदिरापुरम से दिनांक 27.10.2024 को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से स्नैचिंग की घटनाओं में बरामद सामान को बेचकर प्राप्त 15,000/– रु व अपने एक अन्य साथी नकीब पुत्र छिद्द मिस्त्री निवासी लोकप्रिय विहार खोडा कॉलोनी थाना खोडा गाजियाबाद के साथ मिलकर स्नैचिंग की घटनाओं में प्रयुक्त दिल्ली से चोरी की गयी मोटर साइकिल बजाज डोमीनार को बरामद किया गया है। अभियुक्त शान पूछताछ में अभियुक्त ने गाजियाबाद में लूटपाट / स्नैचिंग की कई घटनाओं को कारित करने का इकबाल किया गया था। गिरफ्तारी के उपरान्त पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त शान मौहम्मद से मोबाइल व चैन स्नैचिंग की घटनाओं के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी, पूछताछ में अभियुक्त ने मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु अभियुक्त के बताये हुये स्थान की और थाना हाजा से रवाना होकर कनावनी पुलिया के पास पहुंचे तो अभियुक्त उपरोक्त ने कनावनी पुलिया के पास गाडी रुकवायी तथा अभियुक्त द्वारा मोबाइल फोन की बरामदगी हेतु कनावनी पुलिया से 5/6 की पुलिया की और झाडियों में घुस कर झाडी में पहले से ही लोडेड रखे तमंचे को निकालकर, पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी जिसके उपरान्त पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये बहादुरी का परिचय देते हुये आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही की गयी व न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुये अभियुक्त शान मौहम्मद के पैर मे निशाना लगाकर फायर किया गया, जिससे अभियुक्त के पैर की पिंडली में गोली लगी जिससे अभियुक्त घायल होकर नीचे गिर गया जिसके उपरान्त बिना देरी किये पुलिस टीम द्वारा पुनः अभियुक्त शान मोहम्मद को दिनांक 27.10.2024 को मय 01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है । जिसके सम्बन्ध में थाना इन्दिरापुरम पर धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी व भागने के बारे में पूछताछ की गई तो बताया कि मैं गाजियाबाद में रास्ते पर आने जाने वाले व्यक्तियों के गले से चैन व जो लोग फोन पर बात करते हुये जाते है झपट्टा मारकर उनके फोन छीन लेता हूँ और दिल्ली भाग जाता हूँ इस सम्बन्द में अभियुक्त ने स्नैचिंग सम्बन्धित कई घटनाओं का कारित करने का इकबाल किया गया है। स्नैचिंग से बरामद सामान को अभियुक्त राह चलते लोगो को कम दामो मे बेच देता था तथा रुपयो को खाने पीने में खर्च कर देता था। बरामद मोटर साइकिल के सम्बन्ध मे पूछताछ की गयी तो बताया की उक्त मोटर साइकिल मैने व मेरे साथी नकीब ने करीब एक साल पहले दिल्ली से चोरी की थी ।

मेरा साथी नकीब 10.10.2024 को दिल्ली पुलिस द्वारा पकड कर जेल भेज दिया गया है। इसके उपरान्त मै अकेला ही लूटपाट / स्नैचिंग की घटनाओ को अंजाम दे रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

शान मोहम्मद पुत्र मौ० शौकीन निवासी नियर पीडी स्कूल लोकप्रिय विहार मदरसे वाली गली खोडा कालोनी थाना खोडा उम्र करीब 28 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण

01 तमंचा, 01 खोखा कारतूस व 01 जिन्दा कारतूस तथा चैन/मोबाइल स्नैचिंग किये गये सामान को बेचकर प्राप्त 15,000/– रु व घटनाओं में प्रयुक्त चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

कमिश्रेट गौतमबुद्धनगर में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी व लूट सम्बन्धित करीब आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

थाना इन्दिरापुरम पर लूट सम्बन्धित 02 अभियोग, थाना खोडा पर जुआ, गुंडा एक्ट सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अभियोगों की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्ज़े से 60 KG अवैध पटाखे बरामद।

दिनांक 27.10.24 को मुखबिर ने सूचना दी कि शिब्बनपुरा में 02 व्यक्ति अपने घर में अवैध पटाखे बेच रहे हैं। इस सूचना के आधार पर थाना सिहानीगेट पुलिस टीम द्वारा 02 अभियुक्तों 01. ध्यान सिंह उर्फ राहुल 02. गौरव को अवैध 60 किलो पटाखों के साथ उनके घर से किया गिरफ्तार किया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

पूछताछ पर दोनों अभियुक्तों ने बताया कि आगामी दिनों में दीपावली का त्यौहार आने वाला है। NCR क्षेत्र में पटाखे प्रतिबंधित है तथा यहाँ पर पटाखे अधिक दामों पर बिक जाते है इसलिए हम लोग चोरी छिपे पटाखा बेच कर मुनाफा कमाने के लिए हम ये पटाखे लाए थे।

बरामदगी का विवरणः-

60 किलो अवैध पटाखे

नाम पता अभियुक्त-

1. ध्यान सिंह कश्यप उर्फ राहुल पुत्र गजेशर, नि0 गली नं0 2, शिब्बनपुरा थाना सिहानीगेट, गाजियाबाद
2. गोरव पुत्र बाबूलाल, निवासी शिब्बनपुरा, थाना सिहानीगेट, गा0बाद

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना सिहानीगेट पुलिस टीम

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 28.10.2024 को थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्तों 1.राहुल उर्फ कालू पुत्र रामपाल निवासी ब्रजविहार कालोनी गली न0 10 थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता राजनगर एक्सटेन्शन ऑफिसर सिटी थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद 2. ललित उर्फ लप्पा पुत्र नरेश कुमार

दहिया निवासी फफराना रोड गली न0 3 ब्रहमपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर हत्या जैसे अपराध कारित किये हैं जिसमें हम अपने साथियों के साथ पूर्व में जेल जा चुके हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

1.राहुल उर्फ कालू पुत्र रामपाल निवासी ब्रजविहार कालोनी गली न0 10 थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता राजनगर एक्सटेन्शन ऑफिसर सिटी थाना नंदग्राम कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 35 वर्ष।
2. ललित उर्फ लप्पा पुत्र नरेश कुमार दहिया निवासी फफराना रोड गली न0 3 ब्रहमपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 33 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त राहुल उर्फ कालू उपरोक्त के विरूद्ध गाजियाबाद के विभिन्न थानों पर हत्या व गैंगस्टर अधिनियम के 16 अभियोग पंजीकृत हैं तथा अभियुक्त ललित उर्फ लप्पा के विरूद्ध थाना मोदीनगर पर 05 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 27.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा एक तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादिया के साथ गाली गलौज करना,मारपीट करना जिसमें वादिया का दांत टूट जाना, शादी का झांसा देकर करीब डेढ साल से वादिया के साथ दुष्कर्म करना, फोटो वीडियो वायरल करने की धमकी देना व वादिया से 01 लाख रुपये ले लेना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बोर्डर पर तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।

आज दिनांक 28.10.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त साहिल खान पुत्र साहिद निवासी मौलाना आजाद कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त साहिल खान ने पूछताछ के दौरान बताया कि पीडिता मेरे भाई के पास मजदूरी करने आती थी तभी से हमारी बातचीत शुरु हुई थी। मैं पीडिता के साथ करीब डेढ साल से शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता –

साहिल खान पुत्र साहिद निवासी मौलाना आजाद कॉलोनी बेहटा हाजीपुर थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर हत्या व दुष्कर्म के 02 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.08.2024 को थाना लोनी पर वादी अनीस पुत्र रफीक निवासी मौहल्ला ऊपर कोट मैंन बाजार लोनी गाजियाबाद द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा वादी के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से हमला करना व गाली गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी देना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर तत्काल सुसंगत धाराओं अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया।
तत्पश्चात दिनांक 27.10.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रियाज पुत्र नबाव उर्फ नवाबुद्दीन निवासी टौली मौहल्ला थाना लोनी गाजियाबाद उम्र वर्ष 20 को चौकी क्षेत्र लोनी तिराहा गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मेरा वादी के पुत्र कैफ से पैसों के लेन देन को लेकर झगडा हो गया था लेकिन फिर हमारा फैलसा हो गया। जब मुझे मेरे पैसे वापस नहीं मिले तो मुझे गुस्सा आ गया और जब कैफ दोबारा मेरी दुकान के पास आया तो मैनें उसको जान से मारने की नीयत से उसके उपर कैंची से वार कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता -

रियाज पुत्र नबाव उर्फ नवाबुद्दीन निवासी टौली मौहल्ला थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत है अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।